"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108 ] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी 2026 — फाल्गुन 7, शक 1947

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक-ESTB-103/34/2025-HOMESECTION.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का सं. 46) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (प) के अनुसरण में, राज्य सरकार, जन सुविधा एवं प्रशासनिक कारणों की दृष्टि से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थान को उसके तत्स्थानी कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए, महिलाओं के विरूद्ध समस्त अपराधों के संबंध में, महिला पुलिस थाने के रूप में घोषित करती है, -

सारणी

| स.क्र. | पुलिस थाने का नाम | पुलिस थाने के संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | महिला पुलिस थाना, कोरबा | जिला कोरबा के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र। |
| 2. | महिला पुलिस थाना, जांजगीर-चांपा | जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र। |
| 3. | महिला पुलिस थाना, सूरजपुर | जिला सूरजपुर के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र \| |

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**श्रीकांत वर्मा**, उप–सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.